

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


आदेश

आयोजना विभाग (जनशक्ति) की आई.डी. संख्या 102 दिनांक-08.06.2015 एवं वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या-101502322 दिनांक 19.06.2015 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.22(6) शिक्षा-1/2002 दिनांक 19.06.2015 की पालना में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार विद्यालयवार प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक (विषय), वरिष्ठ अध्यापक (हैड टीचर), अध्यापक लेवल-2, अध्यापक लेवल-1 के पद स्वीकृत किये जाते हैं।

नवकमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों (वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कमोन्नत हुए उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए) में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में operate किया जावेगा परन्तु सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु इन पदों की गणना व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।

संलग्न परिशिष्ट में वर्णित पदों के बजट मद का निर्धारण वित्तीय सलाहकार एवं लेखाधिकारी (बजट) द्वारा किया जाकर पृथक से सूचित किया जाएगा।

संलग्न:- परिशिष्ट


(सुवालाल)
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/माध्य/अ-1/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2015

दिनांक: 25 जून 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि पदों के लिए बजट मद का अविलम्ब निर्धारण कर सम्बन्धित संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करावें।
3. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान को भेजकर लेख है कि अपने विद्यालय से सम्बन्धित सूची को विभागीय वेबसाइट rajshiksha.gov.in से डाउनलोड कर अपने रिकॉर्ड में संधारित करें।
6. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन एबी/सी/एफ/सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर